(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

अनवान

श्री आनन्द पुत्र उदा भील निवासी रेलिया चाटियास तहसील आसींद, जिला भीलवाड़ा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :– 07/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

–: निर्णय :–

1. पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 21.10.2024 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द जिला भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।
3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द जिला भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक 1440 दिनांक 12.02.2025 से प्रत्युत्तर प्रेषित कर इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी /प्रार्थी के आवेदन पत्र से वांछित सूचना उनके कार्यालय से प्राप्त करने हेतू सूचित करते हुए उक्त पत्र की एक प्रति अपील न्यायालय को भी प्रेषित की है।
4. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द जिला भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना प्रदत्त कर दी गयी हो अथवा उसे सूचना प्राप्ति हेतू सूचित कर दिया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज दौराने सुनवायी अभिलेख पर होना नहीं पाया गया।
5. लिहाजा न्याय के व्यापक हित में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी उपखण्ड अधिकारी आसीन्द को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना की एक प्रमाणित प्रति 15 दिन की समयावधि में निःशुल्क उपलब्ध करावें।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी, आंशिक स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।
7. निर्णय आज दिनांक 12–02–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)

प्रथम अपीलीय अधिकारी

लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा